

Page
2019
00088

FORM NO. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लालखोटे नांगल राजावतान

.....तहसीलदार नांगल राजावतान.....बनाम.....सरकार.....

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र अधारा 136 एलआर एक्ट.....न०.....2/.....सन्.....2019

ग्राम बैजवाडी मे दर्ज अपवादित खाता संख्या 116 मे दुरुस्ती बाबत।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2019	<p>तहसीलदार नांगल राजावतान स्वयं उपस्थित। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया। तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया एवं प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम बैजवाडी तहसील नांगल राजावतान के खाता संख्या 116 किता- 2 रकबा 0.36 हैक्टैयर खातेदार रामजीलाल रामप्रताप कैलशचन्द छोटूराम पि० इन्द्राज लाडा पत्नि इन्द्राज हि० 1/8 कन्हैया पुत्र बिरदू हि० 1/8 गोविन्दा हरसहाय गंगाधर पि० गोरया हि० 1/8 अमरपाल कैलश भजनलाल रामकरण प्रहलाद राधेश्याम पि० लल्लू हि० 1/8 फूल्या जन्सी फैली पि० रामल्या गोविन्दी पत्नी रामल्या हि० 1/8 भागीरथ भोरया पि० सुखदेव हि० 2/8 जाति मीना सा० देह के नाम दर्ज होकर अपवादित है जिसमे कुल हिस्सा एक न होकर 7/8 अपवादित दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 2041-60 मे खाता संख्या 116 मे सांवल्या लक्ष्मणा पि० भूरया हि० 1/8 गोविन्दा हरसाय गंगाधर पि० गोरिया हि० 1/8 रामफूल पु० धन्ना हि० 1/8 लालू रामल्या भागीरथा मोत्या पि० सुखदेवा हि० 1/2 जाति मीणा सा० देह के नाम दर्ज होकर कुल हिस्सा 7/8 दर्ज है जो कि अपवादित खाते के रूप मे दर्ज है। उक्त अपवादित खाता भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2018 मे खाता संख्या 100 मे खातेदार सांवल्या व लक्ष्मणा पि० भूरिया हि० बराबर हि०</p>	203 121415


(सिद्धि) नांगल राजावतान

उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दोसा)

1/8 गोविन्दा हरसहाय गांगा पि० गोरया हि० बराबर 1/8 रामफूल पुत्र धन्ना हि० 1/8 बिरधा पुत्र कालू हि० 1/8 लालू रामला मोन्या भागीरथा पि० सुखदेवा हि० 1/2 कोम मीना सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि अपवादित दर्ज नहीं होकर हिस्सा एक हो रहा है।

आधार वर्ष की जमाबन्दी संवत 2059-62 में इन्द्राज, कन्हैया पि० बिरदू हि० 1/4 गोविन्दा, हरसहाय गंगाधर पि० गोरया हि० 1/8 अमरपाल कैलश भजनलाल रामकरण प्रहलाद राधेश्याम पि० लल्लू हि० 1/8 रामल्या भागीरथ भौरया पि० सुखदेवा हि० 3/8 जाति मीना सा० देह अंकित है, जिसमें हिस्सा 7/8 ही रहा है।

प्रार्थी तहसीलदार नांगल राजावतान ने निवेदन किया कि उक्त खाता भूमि एकीकरण संवत 2018 में अपवादित नहीं था सभी खातेदारों का हिस्सा जोड़ने पर उस समय एक बन रहा था उसके बाद भू-प्रबन्ध संवत 2041-60 में बिरधा पुत्र कालू का नाम व 1/8 हिस्सा छूटने से सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 7/8 ही रह गया। इसके बाद आधार वर्ष की जमाबन्दी संवत 2059-62 में सांवल्या लक्ष्मणा पि० भूरया का नाम व 1/8 हिस्सा छूट जाने से सम्पूर्ण खाते का योग 7/8 आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। छूटे हुए खातेदारों द्वारा अपने हिस्से का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण नहीं किया गया है। सह खातेदारों से मौके पर जानकारी कर सहमति ले ली गई है। किसी सह खातेदार को उक्त शुद्धि किये जाने से कोई ऐतराज नहीं है। यदि प्रकरण में सभी खातेदारों की सुनवाई की जाती है तो DILRMP प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य प्रभावित होगा। अतः DILRMP प्रोग्राम को देखते हुए वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 116 में धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत भूमि एकीकरण खतौनी के अनुसार शुद्ध कर "सांवल्या लक्ष्मणा पि० भूरिया हि० 1/8 गोविन्दा हरसहाय गंगाधर पि० गोरया हि० 1/8 रामफूल पुत्र धन्ना हि० 1/8 रामजीलाल रामप्रताप कैलशचन्द छोटूराम पि० इन्द्राज लाडा पत्नि इन्द्राज हि० 1/16 कन्हैया पुत्र बिरदू हि० 1/16 अमरपाल कैलश भजनलाल रामकरण प्रहलाद राधेश्याम पि० लल्लू हि० 1/8 फूल्या जन्सी फैली पि० रामल्या हि० 1/8 भागीरथा भौरया पि० सुखदेवा हि० 1/4 कौम मीना सा० देह" दर्ज करने के आदेश हेतु धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष चाहा गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)

उपस्थित तहसीलदार नांगल राजावतान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अंकित किया है कि ग्राम बैजवाडी में मौके पर उपस्थित होकर भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, सह खातेदारों से बताये अनुसार सहवन से नाम मिसल खतौनी से हजफ हो गया तथा खाता अपवादित हो गया। सह- खातेदारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खातेदारों ने सह खातेदारों व किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमि का बेचान, समर्पण नहीं किया है। सैग्रीगेशन कार्य के आवश्यक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में सुनवाई कर एकीकरण की जमाबन्दी अनुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः तहसीलदार नांगल राजावतान की बहस व प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के अनुसार तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। ग्राम बैजवाडी के खाता संख्या 116 में भूमि एकीकरण खतौनी के अनुसार शुद्ध कर "सांवल्या लक्ष्मणा पि0 भूरिया हि0 1/8 गोविन्दा हरसहाय गंगाधर पि0 गोरया हि0 1/8 रामफूल पुत्र धन्ना हि0 1/8 रामजीलाल रामप्रताप कैलशचन्द छोटूराम पि0 इन्द्राज लाडा पत्नि इन्द्राज हि0 1/16 कन्हैया पुत्र बिरदू हि0 1/16 अमरपाल कैलश भजनलाल रामकरण प्रहलाद राधेश्याम पि0 लल्लू हि0 1/8 फूल्या जन्सी फैली पि0 रामल्या हि0 1/8 भागीरथा भौरया पि0 सुखदेवा हि0 1/4 कौम मीना सा0 देह" खातेदार रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नांगल राजावतान को आदेश की प्रति पालना हेतु भिजवावें। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)